

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुकम

मोती लाल

बनाम

मंजू देवी

मु.नं.- 11/24

किस्म - 7.5.

03.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील साक्षी उपस्थित / वकील अन्यायी ह। 01.02 अनुपस्थित वकील साक्षी ने प्रा.पत्र 7.2 पर बहस हेतु समय पाया। न्यायद्वारा प्रै ऑर्डर प्रवृत्त किया गया है। पत्रावली वालें बहस प्रा.पत्र 7.2 दिनांक 10.3.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (बीसा)

10.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र 7.2 पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वालें प्रा.पत्र 7.2 दिनांक 05.05.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (बीसा)

05.05.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। साक्षीगण डा प्रा.पत्र प्रवृत्त द्वारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार (Acceptance) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली दिमा गया। पत्रावली फौजदारी सुभारं होकर मूल वाद के साथ नहीं हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (बीसा)